

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

प्रेषक,

परीक्षा नियंत्रक (माध्यमिक)

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक : 24/11/2023

विषय: वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2024 में सम्मिलित होने के लिए जिन छात्र/छात्राओं के परीक्षा आवेदन दृष्टिबाधित (Visually Impaired/Blind) कोटि के अंतर्गत भरे गये हैं, उनके विषय में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाराज,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2024 में सम्मिलित होने के लिए आपके जिलान्तर्गत संलग्न सूची में अंकित विवरणी के अनुसार निर्दिष्ट विद्यालयों से चिन्हित छात्र/छात्राओं का परीक्षा आवेदन दृष्टिबाधित (Visually Impaired/Blind) कोटि के अंतर्गत भरे गए हैं।

2. उल्लेखनीय है कि दृष्टिबाधित (Visually Impaired/Blind) छात्र/छात्राओं को प्रावधानानुसार विज्ञान के स्थान पर संगीत विषय एवं गणित विषय के स्थान पर गृह विज्ञान की परीक्षा में सम्मिलित होना है। स्पष्ट किया जाता है कि दृष्टिबाधित छात्र/छात्रा से तात्पर्य है कि वैसे छात्र/छात्रा जो दोनों आँखों से देखने में सक्षम नहीं है। ऐसे छात्र/छात्राओं के समिति द्वारा जारी डमी/मूल पंजीयन कार्ड एवं डमी प्रवेश पत्र में निर्दिष्ट कोटि का उल्लेख किया गया तथा यदि इसमें त्रुटि हो, तो इसके सुधार हेतु निर्गत विभिन्न विज्ञप्ति/पत्रों के द्वारा सभी संबंधितों को स्पष्ट रूप से कई बार अनुरोध किया गया था। इससे आप भली-भाँति अवगत हैं।

3. विदित हो कि गत वर्ष कतिपय सामान्य कोटि के छात्र/छात्राओं के परीक्षा आवेदन भरने के क्रम में दृष्टिबाधित (Visually Impaired/Blind) कोटि त्रुटिपूर्ण चयन हो जाने के कारण प्रवेश पत्र में दृष्टिबाधित छात्र/छात्राओं के लिए विज्ञान के स्थान पर संगीत विषय एवं गणित विषय के स्थान पर गृह विज्ञान अंकित हो गया था। इस त्रुटि के कारण सामान्य कोटि के छात्र/छात्राओं को कठिनाईयों का सामना करना पड़ा था। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कतिपय दृष्टिबाधित छात्र/छात्राओं के परीक्षा आवेदन भरने के क्रम में सामान्य कोटि चयन हो जाने के कारण उनके प्रवेश पत्र में सामान्य कोटि के छात्रों की तरह विज्ञान एवं गणित विषय की प्रविष्टि हो गयी थी, जिससे उन्हें भी कठिनाईयों का सामना करना पड़ा था।

4. कंडिका-3 के आलोक में वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2024 में सम्मिलित होने के लिए जिन छात्र/छात्राओं के दृष्टिबाधित कोटि के अंतर्गत परीक्षा आवेदन भरे गए हैं, के संबंध में पूर्णतः आश्वस्त होना अनिवार्य रूप से आवश्यक है ताकि इस वर्ष वर्णित त्रुटि की पुनरावृत्ति न हो। इस परिदृश्य में जिलावार जिन विद्यालयों से दृष्टिबाधित (Visually Impaired/Blind) कोटि के अंतर्गत छात्र/छात्राओं का परीक्षा आवेदन भरा गया है, उनकी सूची विवरणी सहित संलग्न कर भेजी जा रही है। इस सूची के स्तंभ-7 में यदि निर्दिष्ट परीक्षार्थी वास्तविक रूप से दृष्टिबाधित हैं, तो YES एवं दृष्टिबाधित नहीं हैं, तो NO अंकित कर समिति को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

5. वर्णित परिदृश्य में अनुरोध है कि संलग्न सूची के आधार पर आपके जिलान्तर्गत संबंधित विद्यालय प्रधान से समन्वय कर निर्दिष्ट छात्र/छात्रा के विषय में स्पष्ट जानकारी प्राप्त कर संलग्न सूची के स्तंभ-7 में YES/NO अंकित कर दिनांक 02.12.2023 तक परीक्षा नियंत्रक (मा०) के ई-मेल आईडी0 coemat-bseb-bih@gov.in पर भेजना सुनिश्चित करें।

(P.T.O)

6. यह भी अनुरोध है कि आपके जिलान्तर्गत अधीनस्थ सभी विद्यालय प्रधान से इस आशय की स्पष्ट जानकारी भी प्राप्त कर ली जाय कि किसी दृष्टिबाधित छात्र/छात्रा का परीक्षा आवेदन सामान्य छात्र/छात्रा के कोटि के अन्तर्गत नहीं भरा गया है। यदि ऐसा पाया जाता है, तो उस संबंध में भी अपने मंतव्य सहित स्पष्ट जानकारी उक्त ई-मेल आईडी0 के माध्यम से निर्धारित तिथि 02.12.2023 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित की जाय।

7. कृपया इसे अति आवश्यक समझा जाय।

अनुलग्नक-यथोपरि।

विश्वसभाजसी

B
24/11/23

24/11/23 परीक्षा नियंत्रक (माध्यमिक),
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

ज्ञापांक : केन्द्रीय (मा०)-363/2330-1624 पटना, दिनांक : 24/11/2023